

सं. 50: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नवंबर 2025 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	12249	1207	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	3113	8	0	9100
3	असम	8296	95	0	0
4	बिहार	15177	995	0	17000
5	छत्तीसगढ़	8703	1008	0	12935
6	गोवा	1239	433	0	0
7	गुजरात	16114	540	0	4000
8	हरियाणा	2754	1803	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	56	55	0	0
11	झारखंड	3166	-	0	0
12	कर्नाटक	21899	2475	0	31413
13	केरल	3417	0	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1351	0	1500
15	महाराष्ट्र	74115	3261	0	0
16	मणिपुर	73	148	0	0
17	मेघालय	1344	115	0	0
18	मिज़ोरम	584	102	0	0
19	नगालैंड	2000	49	0	0
20	उड़ीसा	19278	2163	0	26174
21	पुदुचेरी	614	-	0	2350
22	पंजाब	10648	978	0	0
23	राजस्थान	2964	1458	0	6300
24	तमिलनाडु	3639	-	0	5755
25	तेलंगाना	8352	1833	0	0
26	त्रिपुरा	1392	31	0	0
27	उत्तराखंड	5994	322	0	0
28	उत्तरप्रदेश	24310	6064	0	25000
29	पश्चिम बंगाल	15127	1143	0	13000
	कुल	266614	27642	0	154528

टिप्पणियाँ: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल में राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं।
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।